न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 08/2021

वादी		प्रतिवादीगण
1 खेताराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु व जिला बाडमेर।	बनाम	1 भीखाराम 2 किरपाराम पिसरान मानाराम 3 केकूदेवी पत्नी मानाराम प्रतिवादी संख्या 02 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता केकूदेवी पत्नी मानाराम जाति कुम्हार निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील वादी।

निर्णय

दिनांक 10-3-21

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3168/1010 रकबा 04.00 बीघा भूमि आई हुई है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व पति मानाराम से दिनांक 09.09.2009 को जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 06.11.2009 को प्रतिफल की राशि 70000/– अदा कर रकबा 01.00 बीघा भूमि प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया गया। उक्त बेचान के दस्तावेज वादी ने पटवारी हल्का को दे दिये तथा पटवारी ने वादी को आश्वस्त किया कि उक्त पंजीबन्द दस्तावेज के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तकरण खातेदारी अंकन कर देगा तथा इस आश्वासन के आधार पर वादी भरोसे रहा कि उसकी क्रयसुदा आराजी का खातेदारी अंकन हो गया है, परन्तु पटवारी हल्का ने बावजूद सूचना वादी के पक्ष में नामान्तकरण नही खोला। तत्पश्चात वर्ष 2013 में मानाराम का देहान्त हो गया मानाराम का देहान्त होने पर पटवारी हल्का ने फोतेदगी का नामान्तकरण संख्या 2984 प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम स्वीकृत किया गया जबकि वादी खरीदसुदा भूमि 01.00 बीघा का खातेदार दर्ज होना चाहिए था। वादी का मानाराम से खरीदा गया 01.00 बीघा इसी खसरा नम्बर 3168/1010 में मिला हुआ है। वादी को इसका ज्ञान होने पर उसके द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा मौजा बाडमेर आगोर के मौजूदा खसरा संख्या 3168/1010 के मौजूदा रकबा 04.00 बीघा में से अपना क्रयसुदा रकबा 01.00 बीघा खातेदारी की घोषित करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वादी की साक्ष्य के रूप में वादी खेताराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र बाद मुख्य परीक्षण सामिल मिसल किया गया। वादी खेताराम द्वारा अपने साक्ष्य में रजिस्ट्री की नकल, जो EX-3, चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 बाडमेर आगोर EX-1, नक्शा EX-2 तथा फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 2984 की प्रति EX-4 पेश कर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज कर क्रयसुदा भूमि को उसके खाते में दर्ज करने का कथन किया।

सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बाडमेर आगोर में स्थित खसरा संख्या 3168/1010 मौजूदा रकबा 04.00 बीघा में रकबा 01.00 बीघा जो वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता व पति मानाराम से जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 06.11.2009 को प्रतिफल की रकम अदा कर क्रय की थी तथा वादी को मौके पर काबिज किया था। वकील वादी का कथन है कि पंजीबद्ध बेचान कर देते ही सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 व रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 के अनुसार वादी उक्त क्रयसुदा वादग्रस्त आराजी का खातेदार हो गया तथा विक्रेता का उस अराजी से सदैव के लिए अधिकार समाप्त हो गये। पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रभाव में है। लिहाजा वादी अपनी क्रयसुदा भूमि को खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् प्रदर्श–01 से प्रदर्श–04 का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मानाराम द्वारा 01.00 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान प्रतिफल की राशि प्राप्त कर वादी को दिनांक 06.11.2009 को किया, जिसका नामान्तकरण पारित नही हो पाया। इस दरम्यान मानाराम का देहान्त हो गया। वादी द्वारा मानाराम से खरीदा गया 01.00 बीघा इसी खसरा संख्या 3168/1010 में मिला हुआ है। मानाराम के देहान्त के पश्चात उसका हिस्सा उसके वारिस पुत्रो व पत्नी में जरिये नामान्तकरण संख्या 2984 से दर्ज हो गया। वादी द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 06.11.2009 से वादी के खाते में दर्ज होना था, परन्तु नही हो पाया। उक्त भूमि में से वादी अपने क्रयसुदा भूमि रकबा 01.00 बीघा खातेदारी की घोषित करवाने का अधिकारी है। वकील वादी के इस तर्क से भी हम सहमत है कि पंजीबद्ध बेचान कर देते ही सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 व रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 के अनुसार वादी उक्त क्रयसुदा वादग्रस्त आराजी का खातेदार हो गया तथा विक्रेता का उस अराजी से सदैव के लिए अधिकार समाप्त हो गये। पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रभाव में है। लिहाजा वादी अपनी क्रयसुदा भूमि को खातेदारी की घोषित करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर खेत खसरा संख्या 3168/1010 रकबा 04.00 बीघा में से वादी को क्रयसुदा रकबा 01.00 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

कलक्टर (SDO)

निर्णय आज दिनांक 10.3.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

...di Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी		प्रतिवादीगण
1 खेताराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु व जिला बाडमेर।	बनाम	1 भीखाराम 2 किरपाराम पिसरान मानाराम 3 केकूदेवी पत्नी मानाराम प्रतिवादी संख्या 02 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता केकूदेवी पत्नी मानाराम जाति कुम्हार निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 88, 209 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 08/2021

निर्णय दिनांक :– 10-3-21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या ......–...... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-3-21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर खेत खसरा संख्या 3168/1010 रकबा 04.00 बीघा में से वादी को क्रयसुदा रकबा 01.00 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 10-3-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	